Social Justice Union

दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ║ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ║ रायगढ़, गुरूवार 01 अगस्त 2019 ║ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ║ वर्ष-01, अंक- 300

महत्वपूर्ण एवं खास

कैफे कॉफी डे के लापता मालिक वीजी सिद्धार्थ की नेत्रावती नदी से लाश मिली

मंगलुरु (आरएनएस)। कैफे कॉफी डे (सीसीडी) के संस्थापक और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा के दामाद वीजी सिद्धार्थ की लाश मिली है. सिद्धार्थ सोमवार शाम से लापता थे. उनका शव उल्लाल के निकट नदी किनारे आ गया था, जहां स्थानीय मछुआरों ने उसे निकाला. मेंगलुरु के विधायक यूटी खादर ने बताया कि मित्रों और संबंधियों ने इस बात की पुष्टि की है कि शव सिद्धार्थ का ही है. इससे पहले पुलिस ने कहा था कि शव सिद्धार्थ का प्रतीत होता है और अभी उनके परिवार से इसकी पुष्टि नहीं की गई है.इसकी पहचान के लिए हमने परिवार के सदस्यों को सूचित कर दिया है. अभी शव को वेनलॉक हॉस्पिटल ले जा रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, सिद्धार्थ सोमवार दोपहर बेंगलुरू से हासन जिले में सक्लेशपुर के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उन्होंने बीच रास्ते में अपने ड्राइवर को मेंगलुरू की तरफ चलने को कहा. वह आखिरी बार सोमवार रात दक्षिण कन्नड़ जिले में नेत्रावती नदी पर पुल के पास दिखे थे.

मेट्रो में जेब काटने वाली महिलाओं के पास मिले 60 लाख के हीरे

नईदिल्ली (आरएनएस)। मेट्रो में लोगों की जेब कटने की बढ़ती शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सात महिलाओं को गिरफ्तार किया है. इन महिलाओं के पास से पुलिस को 60 लाख रुपये के हीरे बरामद हुए हैं. बताया जाता है कि इन महिलाओं ने 28 जुलाई को ब्लू लाइन मेट्रो में सफर कर रहे एक हीरा व्यवसायी के बैग से ये हीरे चोरी किए थे. पकड़ी गई महिलाएं सभी आनंद परबत के निवासी हैं. पुलिस के मुताबिक, गिरोह में शामिल महिलाएं और भीड़ वाली जगहों जैसे मेट्रो ट्रेन, भीड़ वाली बसें और गाड़ियों को निशाना बनाती थीं. वे पहले मेट्रो स्टेशनों पर खड़े भारी जेब वाले शख्स की पहचान करते हैं. इसके बाद, वे पीड़ित को घेर लेते हैं और अपनी नौकरी के बारे में बताते हैं. उन्होंने कहा कि यह मामला एक व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने के बाद सामने आया, जो दिल्ली में व्यापार से जुड़े काम के लिए आया था. 28 जुलाई को वह करोल बाग से इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन की यात्रा कर रहा था. पुलिस ने कहा यात्रा के दौरान, उनका बैग जिसमें हीरे थे, चोरी हो गए.

पेड़ में कार टकराने से एक ही परिवार के सात लोगों की मौत

पुणे (आरएनएस)। महाराष्ट्र के सतारा जिले में काशील गांव के पास बुधवार को सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के सात सदस्यों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों और पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार से शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। बोरगांव थाने के पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रकांत माली ने बताया कि धारीवाड़ गांव के निजामुद्दीन सौदागार परिवार से संबंध रखने वाले लोग कराड तालुका से सतारा की ओर जा रहे थे कि काशील गांव के पास वे दुर्घटना का शिकार हो गए। पुलिस के अनुसार गांधीनगर इलाके के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी जिनमें दो पुरुष और दो महिलाएं और तीन नाबालिग बच्चे शामिल हैं। माली ने कहा कि इस हादसे में चालक घायल हो गया। उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार को हादसे की जानकारी दे दी गई है।

कांग्रेस की मांग, सीसीडी मालिक वीजी सिद्धार्थ की मौत की हो जांच, बीजेपी सरकार पर लगाए आरोप

बेंगलुरु। कैफे कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ का शव मिलने के बाद कांग्रेस ने मांग की है कि देश की सबसे फेमस चेन के मालिक की मौत की जांच की जाए। पार्टी ने आरोप लगाया है कि आयकर विभाग की प्रताड़ना से परेशान होकर सिद्धार्थ ने इतना बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों को दोषी बताते हुए आरोप लगाया है कि आयकर विभाग ने राजनीति से प्रेरित होकर काम किया है। बता दें कि सिद्धार्थ ने मौत से कुछ दिन पहले स्टाफ को लिखी चिट्ठी में कंपनी की गिरती हालत और आयकर विभाग के एक पूर्व डीजी के हाथों प्रताड़ना का जिक्र किया था।

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने सिद्धार्थ की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने सिद्धार्थ को कर आतंक का पीड़ित बताते हुए आरोप लगाया है कि आयकर विभाग ने राजनीति से प्रेरित होकर काम किया। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने सिद्धार्थ के निधन पर दुख जताया है और उनके लिखे खत की जांच की मांग की है। उन्होंने ट्वीट किया है- उम्मीद करता हूं कि सरकार अपनी बिजनस-विरोध नीतियों पर विचार करे।

उधर, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में छ्छ्ठ के मालिक वीजी सिद्धार्थ की मौत का मुद्दा उठाते हुए कहा- एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई जिसमें छ्छ्ठ के मालिक वीजी सिद्धार्थ ने कथित तौर पर इनकम टैक्स अधिकारियों की प्रताड़ना की वजह से आत्महत्या कर लिया। हालांकि, स्पीकर ने उन्हें रोकते हुए कहा कि आप सीनियर वकील हैं, जब तक जांच में यह बात स्पष्ट नहीं हो जाती कि उन्होंने आत्महत्या की है तब तक इस मुद्दे को यहां उठाने का कोई औचित्य नहीं है।

कर्नाटक कांग्रेस ने बयान जारी करते हुए सिद्धार्थ की मौत को आयकर अधिकारियों की प्रताड़ना और कर आतंक और अर्थव्यवस्था के गिरने से भारत में ऑन्त्रप्रेन्योरशिप के जहरीले होने का नतीजा बताया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि जो कंपनियां यूपीए के शासन में फल-फूल रही थीं, उन्हें बंद कर दिया गया जिससे कई लोगों की नौकरियां चली गईं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर स्वतंत्र और आसान अर्थव्यवस्था के लिए वोट देने वाले लोगों से धोखा करने का आरोप लगाया है। सिंघवी ने ट्वीट किया- एक पुरानी विचारधारा है कि सरकार का बिजनस में कोई काम नहीं होता और मोदी ने 2014 से पहले अपने चुनाव प्रचार अभियान में इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। आज उन्होंने उन लोगों को धोखा दिया है जिन्होंने एक मजबूत, स्वतंत्र और आसान अर्थव्यवस्था देखने के लिए उन्हें वोट दिया था।

सबरीमाला केसः अभिषेक मनु सिंघवी ने बतौर फीस 62 लाख रुपये मांगे

तिरुवनंतपुरम। कांग्रेस नेता और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने के लिए त्रावणकोर देवासम बोर्ड को 62 लाख रुपये का भारी-भरकम बिल भेजा है। उधर, बोर्ड ने इस राशि को चुका पाने में असमर्थता जताते हुए बिल में छूट मांगी है।

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के पर प्रतिबंध को लेकर सिंघवी ने देवासम बोर्ड का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा था। अब इस मामले में सिंघवी ने बोर्ड को अपनी फीस के तौर पर 62 लाख रुपये भुगतान करने के लिए कहा है। बोर्ड के अध्यक्ष ए पद्मकुमार ने कहा, यह बिल बोर्ड के लिए वहन करने लायक नहीं है। यह काफी अधिक रकम है। वैसे भी हमने सिंघवी को मामला नहीं सौंपा है। सरकार ने हमारी सिफारिश के खिलाफ उन्हें नियुक्त किया है।

उन्होंने आगे कहा, बिल हमें भेजा गया था और हमने इस पर सरकार से बातचीत की है। उनकी प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड ने इस मामले में वकील के रूप में गोपाल सुब्रमण्यम और मोहन परासरन के नाम की सिफारिश की थी।

जेकेसीए भ्रष्टाचार केस में फारूक अब्दुल्ला से प्रवर्तन निदेशालय की चंडीगढ़ में पूछताछ

चंडीगढ़। जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ में हुए घोटाले को लेकर असोसिएशन के पूर्व प्रेजिडेंट फारूक अब्दुल्ला से प्रवर्तन निदेशालय आज चंडीगढ़ में पूछताछ कर रहा है। बीसीसीआई की तरफ से राज्य में क्रिकेट से जुड़ी सुविधाओं के विस्तार और खिलाड़ियों की सहायता के लिए आवंटित राशि में करोड़ों के गबन का आरोप अब्दुल्ला समेत कई अन्य पदाधिकारियों पर हैं।

इसी महीने सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है, अब्दुल्ला आरोपीक्रिकेट असोसिएशन में हुए गबन पर सीबीआई ने इसी महीने चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में नैशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला को भी आरोपी बनाया गया। जिस वक्त कथित गबन हुआ था अब्दुल्ला उस वक्त प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे। इस मामले की जांच पहले पुलिस कर रही थी, लेकिन हाई कोर्ट ने पारदर्शिता के अभाव में जांच सीबीआई को सौंप दी।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के साथ तत्कालीन महासचिव मोहम्मद सलीम खान, कोषाध्यक्ष अहसान अहमद मिर्जा और जे एंड के

बैंक के एक कर्मचारी बशीर अहमद मिसगर पर गबन के आरोप हैं। जम्मू-कश्मीर के नागरिक होने के कारण इन सभी पर रणबीर दंड संहिता के तहत भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग, गबन और आपराधिक साजिश को अंजाम देने का आरोप है।

क्रिकेट संघ ने किया करोड़ों का गबन

सीबीआई ने आरोपपत्र में दर्ज किया है कि बीसीसीआई ने 2002 से 2011 के बीच प्रदेश में क्रिकेट के प्रचार-प्रसार के लिए 112 करोड़ की राशि आवंटित की थी। इस राशि में से करीब 43.69 करोड़ रुपये के गबन का आरोप है। हालांकि, इस मामले के सामने आने के बाद ही फारूक अब्दुल्ला ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा था कि उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है।

उन्नाव कांडः केस दर्ज करने के बाद ऐक्शन में सीबीआई, रायबरेली पहुंची टीम, मौके पर की जांच

लखनऊ। उन्नाव रेप पीड़िता के ऐक्सिडेंट मामले में केस दर्ज करने के बाद सीबीआई ऐक्शन में आ गई है। सीबीआई की तीन सदस्यों की टीम आज रायबरेली में उस जगह पर जांच करने पहुंची, जहां रेप पीड़िता का ऐक्सिडेंट हुआ था। बता दें कि राज्य सरकार की सिफारिश के बाद सीबीआई ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई समेत 10 लोगों के खिलाफ नामजद और 15-20 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश की धाराओं में केस दर्ज किया है। यह केस सीबीआई लखनऊ की ऐंटी करप्शन ब्रांच ने दर्ज किया है। अब सीबीआई ही इस मामले की सच्चाई पता लगाएगी कि यह एक

हादसा था या साजिश।

सभी कॉमेंट्स देखेंअपना कॉमेंट लिखेंबता दें कि 28 जुलाई को उन्नाव गैंगरेप पीड़िता, उसकी चाची, मौसी और वकील का कार ऐक्सिडेंट हुआ था। इस ऐक्सिडेंट में पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई जबकि वकील और पीड़िता की हालत गंभीर है। पीड़िता के परिवार ने इस घटना को साजिश बताते हुए आरोप लगाया था कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया ताकि पीड़िता और उसके साथ केस की पैरवी कर रहे लोगों को खत्म कर दिया जाए।

परिवार ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। बता दें कि पीड़िता के साथ रेप और उसके पिता की जेल में हत्या मामले की जांच पहले से ही सीबीआई के पास है। बुधवार को पीड़िता के ऐक्सिडेंट मामले में सीबीआई ने अलग से एफआईआर दर्ज की है। मंगलवार देर रात दर्ज हुई इस एफआईआर में कुलदीप सिंह सेंगर, मनोज सिंह सेंगर, विनोद मिश्रा, हरिपाल सिंह, नवीन सिंह, कोमल सिंह, अरुण सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, रिंकू सिंह, वकील अवधेश सिंह का नाम शामिल है। इसके अलावा 15-20 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है।

कुलदीप सिंह सेंगर के अलावा जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें उनके भाई मनोज सिंह सेंगर का नाम भी शामिल है। दरअसल, रेप और पीड़िता के पिता की पिटाई का मामला सामने आने के बाद कुलदीप सिंह सेंगर और उनके छोटे भाई अतुल सिंह सेंगर की गिरफ्तारी हो गई थी जबकि मनोज सिंह सेंगर पर इस मामले से लिंक न होने की वजह से वह बाहर थे। रायबरेली में रविवार को हुई घटना के बाद वह भी लपेटे में आ चुके हैं।

फडणवीस की मौजूदगी में तीन पूर्व एनसीपी नेता बीजेपी में शामिल

मुंबई (आरएनएस)। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में तीन पूर्व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए हैं। ये तीन नेता शिवेंद्र राजे भोसाले, संदीप नायक और चित्रा वाघ हैं।

बता दें कि इससे पहले मंगलवार को चार विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने वालों में शिवेंद्र राजे भोसले और संदीप नायक शामिल हैं। कांग्रेस विधायक कालिदास कोलम्बकर और राकांपा के शिवेंद्र भोसले, वैभव पिचद और संदीप नाइक ने दक्षिण मुंबई के राज्य विधान भवन में स्पीकर हरिभाऊ बागड़े को अपना त्याग पत्र सौंपा था।

कोलंबकर मुंबई से सात बार विधायक रहे हैं, जबकि भोसले ने महाराष्ट्र की सतारा विधानसभा सीट को 2014 में 47,813 वोटों से जीता था। इनके भाजपा में शामिल होने की पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थीं।

मेडिकल उपकरणों के लिए कानून बनाने की मांग उठी राज्यसभा में

नईदिल्ली (आरएनएस)। राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा ने बुधवार को सदन में देश में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा खराब कृत्रिम कूल्हे की आपूर्ति का मामला उठाया और मेडिकल उपकरणों के संबंध में कानून बनाने की मांग की।

शर्मा ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाते हुए कहा कि एक विदेशी कंपनी ने देश में ऐसे कृत्रिम कूल्हों की आपूर्ति कर दी जो बाकी दुनिया में प्रतिबंधित कर दिये गये थे। जिन लोगों को ये कूल्हे लगाये गये थे उनमें कई की मृत्यु हो गयी। शर्मा ने कहा कि मामला खुलने पर कंपनी को प्रति व्यक्ति 25 लाख रुपए का मुआवजा देने के निर्देश दिये गये। देश में लगभग 4000 लोगों को

ये कूल्हे लगाये गये लेकिन अब तक महज 26 की पहचान की जा सकी है।

उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित कूल्हों की आपूर्ति की जांच की जानी चाहिए और सरकार को मेडिकल उपकरणों के बाजार को नियंत्रित करने के लिए व्यापक कानून लाना चाहिए। कृत्रिम अंगों लगवाने वाले लोगों का एक रजिस्टर बनाया जाना चाहिए। सदन के कई सदस्यों ने उनका समर्थन किया और कहा कि गुर्दे और हृदयरोग के निदान में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों में भी शिकायत आ रही है।

भारतीय जनता पार्टी के विजय पाल तोमर ने पश्चिम उत्तरप्रदेश में नयी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की विस्तार शाखा खोलने की मांग की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 25 जिले हैं लेकिन एक भी आधुनिक अस्पताल नहीं है। क्षेत्र के लोगों को नयी दिल्ली आना पड़ता है।

इतिहास में पहली बार हाईकोर्ट जज के खिलाफ सीबीआई दर्ज करेगी केस

» सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति

नईदिल्ली (आरएनएस)। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन शुक्ला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी है। मेडिकल दाखिला घोटाले में शामिल होने के प्रमाण मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सीबीआई को केस दर्ज करने की मंजूरी दी है। बता दें, जस्टिस एसएन शुक्ला पर एमबीबीएस कोर्स में दाखिले के लिए एक निजी मेडिकल कॉलेज को कथित

रूप से फायदा पहुंचाने का आरोप है।

हाई कोर्ट में कार्यरत किसी भी जज के खिलाफ 1991 से पहले किसी भी एजेंसी ने किसी भी मामले में जांच नहीं की थी. तब से यह पहला मामला है, जब सीजेआई ने एक जांच एजेंसी को एक सिटिंग जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी है। सीबीआई जल्द ही जस्टिस शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगी। संभव है कि जस्टिस शुक्ला भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत गिरफ्तार भी कर लिए जाएं।

इससे पहले चीफ जस्टिस ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में संसद में कार्रवाई करने के लिए भी कहा था। पिछले सीजेआई दीपक मिश्रा ने शिकायत के बाद तीन जजों की कमेटी बनाई थी, जिसने जांच में जस्टिस शुक्ला का हाथ माना था. इसके बाद जस्टिस शुक्ला से न्यायिक कार्य वापस ले लिया गया था। तत्कालीन सीजेआई मिश्रा ने उन्हें इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृति लेने को कहा था लेकिन जस्टिस शुक्ला ने इससे इनकार कर दिया था।

बाद में जस्टिस शुक्ला ने न्यायिक कार्य वापस देने के लिए सीजेआई से गुजारिश की थी जिसे ठुकरा दिया गया था। किसी वर्तमान जज के खिलाफ बिना सीजेआई की अनुमति एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती इसलिए सीबीआई ने सीजेआई को लिखकर अनुमति मांगी थी।